

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 3/4/2012/SDR

Dated:-24th August, 2012

To,

Chief Electoral officers
of all State and Union Territories

**Sub:- Affidavit to be filed by the candidates with their nomination paper-
modification of format - regarding.**

Sir/Madam,

The candidates at elections to the Parliament and the State Legislatures hitherto wererequired to file two affidavits: one, in Form -26 appended to Conduct of Elections Rules 1961 and the other, in the Form prescribed by the Commission, vide its Order No. 3/ER/2003 dated 27.03.2003, as subsequently modified by the letter of even number dated 25.02.2011. In the affidavits, the candidates are required to declare information about their criminal background, if any, assets, liabilities and educational qualifications.

2. On a proposal moved by the Commission for amalgamating the two affidavits into one format, the Govt. has amended Form 26 so as to include in it all the information that was sought in the two separate affidavits. The Ministry of Law and Justice have notified the revised format of Form 26 in the Gazette of India on 01.08.2012. A copy of the said notification dated 1st August, 2012 is enclosed herewith.

3. In view of the amendment to Form-26, all candidatesshall, hereafter, file only one affidavit in the revised Form 26 notified on 01.08.2012(at elections to the Parliament and State Legislatures). The requirements to be followed while filing the affidavit have been mentioned in the notes given at the end of the format. Further, as already directed in the Commission's letter No. 3/ER/2011/SDR, dated 1st September, 2011, the affidavit should be on stamp paper of such denomination as prescribed under the State Act on the subject.

4. The Commission has directed that the revised format of the affidavit should be brought to the notice of the Returning Officers for all elections conducted by the Commission, including elections to RajyaSabhaand Legislative Councils (in the States having Legislative Council) with instructions to ensure that this is brought to the notice of all concerned.You may kindly ensure that all the Returning Officers, including Returning Officers for elections to Council of States and Legislative Councils, receive a copy of this letter along with the notification of amended Form-26 and acknowledgement of receipt be obtained from every Returning Officer in the State. A consolidated

certificate that all the Returning Officers have received the instructions may be forwarded to the Commission within one month of receipt of this letter,

5. You are also requested to furnish a copy of this letter along with copy of the enclosed notification to every political party (including registered unrecognized parties) having headquarters in your State/UT, including the State Units of recognized National and State political parties.

Yours faithfully,

(Ashish Chakraborty)
Secretary



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1433]

No. 1433]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 2012/श्रावण 10, 1934

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 2012/SHRAVANA 10, 1934

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2012

का.आ. 1732(अ).—केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2012 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के प्ररूप 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

कृपया अपना
नवीनतम फोटो
यहां चस्पा दे

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

निर्वाचन क्षेत्र से

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं, **पुत्र/पुत्री/पत्नी आयु वर्ष, जो (डाक का पूरा पता लिखें) का/की
निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं :-
(1) मैं (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/

** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं..... के क्रम सं. पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. है/ हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं			
2.	पति या पत्नी			
3.	आश्रित - 1			
4.	आश्रित - 2			
5.	आश्रित - 3			

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/ जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे

(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम- अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	
-----	--	--

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख (तारीखें)	
(ग)	अधिरोपित दंड	
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	

(7) मैं मेरे मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/ संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/ शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति पत्नी	या	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी						
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम						
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम						
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम						
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय						

	जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम					
(vi)	मोटरयान/ वायुयान/ याट/ पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य					
(ix)	समग्र कुल मूल्य					

खं. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति पत्नी	या	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)						
	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)						
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)						
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)						
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख						
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)						
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर						

28596E/12-2

PART II - EXTRAORDINARY													[PART II -
कोई विनिधान													
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)												
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)												
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)												
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख												
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)												
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान												
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य												
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)												
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)												
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)												
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)												
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख												
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)												
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान												

	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य					

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-
(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति पत्नी	या	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	बैंक/ वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था						

	का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति				
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिओं, निकाय को ऋण या शोध				
	नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति				
	कोई अन्य दायित्व				
	दायित्वों का कुल योग				
(ii)	सरकारी शोध :				
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध				
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध				
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध				
	टेलीफोन/ मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध				
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध				
	आय-कर शोध				
	धनकर शोध				
	सेवाकर शोध				
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध				
	विक्रयकर शोध				
	कोई अन्य शोध				
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग				
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां				

तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।					
--	--	--	--	--	--

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं

(ख) पति या पत्नी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

(प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख					
(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरे का उद्धरण					
1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु०			
2.	झाक का पूरा पता				
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य				
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)				
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है ऊपर मद् (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न।				
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]				
7.	... का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी				
	(ख) पति या पत्नी				
	(ग) आश्रित				
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपए में)				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
				आश्रित-3	

2859 GI/12-3

क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)						
ख.	स्थावर आस्तियां						
I.	स्वर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत						
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)						
III.की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत						
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)						
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)						
9.	दायित्व						
(i)	सरकारी शोध (कुल)						
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)						
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं						
(i)	सरकारी शोध (कुल)						
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)						
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दे ।)						

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :--

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है ;

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है ।

आज तारीख....., को सत्यापित किया गया ।

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

[फा. सं. एच-11019(6)/2012-वि. II]

डॉ. संजय सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ.859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया—

(1) संख्यांक का.आ.728(अ), तारीख 8 मई, 2007।

(2) संख्यांक का.आ.425(अ), तारीख 23 फरवरी, 2011।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2012

S.O. 1732(E).—In exercise of the powers conferred by section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2012.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Conduct of Elections Rules, 1961, for Form 26 and the entries relating thereto, the following Form and entries shall be substituted, namely:—

"FORM 26
(See rule 4A)

Please affix your
recent passport
size photograph
here

Affidavit to be filed by the candidate alongwith nomination paper before the
returning officer for election to (name of the House)
from.....constituency (Name of the constituency)

PART-A

I....., **son/daughter/wife of
Aged.....years, resident of (mention full

postal address), a candidate at the above election, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

(1) I am a candidate set up by(**name of the political party)/**am contesting as an Independent candidate.
(**strike out whichever is not applicable)

(2) My name is enrolled in.....(Name of the constituency and the State), at Serial No.....in Part No.....

(3) My contact telephone number(s) is/are.....and my e-mail id (if any) is.....

(4) Details of Permanent Account Number (PAN) and status of filing of Income Tax return:

Sl. No.	Names	PAN	The financial year for which the last Income-tax return has been filed	Total income shown in Income-tax return (in Rupees)
1.	Self			
2.	Spouse			
3.	Dependent-1			
4.	Dependent-2			
5.	Dependent-3.....			

(5) I am/am not accused of any offence(s) punishable with imprisonment for two years or more in a pending case(s) in which a charge(s) has/have been framed by the court(s) of competent jurisdiction.

If the deponent is accused of any such offence(s) he shall furnish the following information:-

(i) The following case (s) is/are pending against me in which charges have been framed by the court for an offence punishable with imprisonment for two years or more:-

(a)	Case/First Information Report No./Nos. together with complete details of concerned Police Station/District/State.	
(b)	Section(s) of the concerned Act(s) and short description of the offence(s) for which charged	
(c)	Name of the Court, Case No. and date of order taking cognizance:	
(d)	Court(s) which framed the charge(s)	
(e)	Date(s) on which the charge(s) was/were framed	

(f)	Whether all or any of the proceedings(s) have been stayed by any Court(s) of competent jurisdiction	
-----	---	--

(ii) The following case(s) is/are pending against me in which cognizance has been taken by the court [other than the cases mentioned in item (i) above]:-

(a)	Name of the Court, Case No. and date of order taking cognizance:	
(b)	The details of cases where the court has taken cognizance, section(s) of the Act(s) and description of the offence(s) for which cognizance taken	
(c)	Details of Appeal(s)/Application(s) for revision (if any) filed against the above order(s)	

(6) I have been/have not been convicted of an offence(s) [other than any offence(s) referred to in sub-section (1) or sub-section (2), or covered in sub-section (3), of section 8 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951)] and sentenced to imprisonment for one year or more.

If the deponent is convicted and punished as aforesaid, he shall furnish the following information:

In the following cases, I have been convicted and sentenced to imprisonment by a court of law:

(a)	The details of cases, Section(s) of the concerned Act(s) and description of the offence(s) for which convicted	
(b)	Name of the Court(s), Case No. and date(s) of order(s):	
(c)	Punishment imposed	
(d)	Whether any appeal was/has been filed against the conviction order. If so, details and the present status of the appeal:	

(7) That I give herein below the details of the assets (movable and immovable etc.) of myself, my spouse and all dependents:

A. Details of movable assets:

Note: 1. Assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given.

Note: 2. In case of deposit/Investment, the details including Serial Number, Amount, date of deposit, the scheme, Name of the Bank/Institution and Branch are to be given

285961/12-4

Note: 3. Value of Bonds/Share Debentures as per current market value in Stock exchange in respect of listed companies and as per books in case of non-listed companies should be given.

Note: 4. Dependent here has the same meaning as assigned in Explanation (v) under section 75A of the Representation of the People Act, 1951.

Note: 5. Details including amount is to be given separately in respect of each investment

Sl. No.	Description	Self	Spouse	Dependent-1	Dependent-2	Dependent-3
(i)	Cash in hand					
(ii)	Details of deposit in Bank accounts(FDRs, Term Deposits and all other types of deposits including saving accounts), Deposits with Financial Institutions, Non-Banking Financial Companies and Cooperative societies and the amount in each such deposit					
(iii)	Details of investment in Bonds, debentures/shares and units in companies/Mutual funds and others and the amount					
(iv)	Details of investment in NSS, Postal Saving, Insurance policies and investment in any Financial instruments in Post office or Insurance Company and the amount					
(v)	Personal loans/advance given to any person or entity including firm, company, Trust etc., and other receivables from debtors and the amount					
(vi)	Motor Vehicles/Aircrafts/Yachts/Ships (Details of Make, registration number etc. year of purchase					

	and amount)					
(vii)	Jewellery, bullion and valuable thing(s) (give details of weight and value)					
(viii)	Any other assets such as value of claims/interest					
(ix)	Gross Total Value					

B. Details of Immovable Assets:

Note: 1. Properties in joint ownership indicating the extent of joint ownership will also have to be indicated

Note: 2. Each land or building or apartment should be mentioned separately in this format

S. No.	Description	Self	Spouse	Dependent-1	Dependent-2	Dependent-3
(i)	Agricultural Land					
	Location(s)					
	Survey number(s)					
	Area (total measurement in acres)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self-acquired property					
	Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase					
	Any investment on the land by way of development, construction etc.					
(ii)	Approximate current market value					
	<u>Non-Agricultural Land:</u>					
	Location(s)					
	Survey number(s)					
	Area (total measurement in sq.ft.)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self-acquired property					
	Cost of Land (in case					

	of purchase) at the time of purchase					
	Any investment on the land by way of development, construction etc.					
	Approximate current market value					
(iii)	Commercial Buildings (including apartments) -Location(s) -Survey number(s)					
	Area (total measurement in sq.ft.)					
	Built-up Area (total measurement in sq.ft.)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self-acquired property					
	Cost of property (in case of purchase) at the time of purchase					
	Any investment on the property by way of development, construction etc.					
	Approximate current market value					
(iv)	Residential Buildings (including apartments): -Location(s) -Survey number(s)					
	Area (total measurement in sq.ft.)					
	Built up area (Total measurement in sq.ft.)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self-acquired property					
	Cost of property (in case of purchase) at the time of purchase					
	Any investment on the land by way of development,					

	• construction etc.					
	Approximate current market value					
(v)	Others (such as interest in property)					
(vi)	Total of current market value of (i) to (v) above					

(8) I give herein below the details of liabilities/dues to public financial institutions and government:-

(Note: please give separate details of name of bank, institution, entity or individual and amount before each item)

S. No.	Description	Self	Spouse	Dependent-1	Dependent-2	Dependent-3
(i)	Loan or dues to Bank/financial institution(s) Name of the Bank or financial Institution, Amount outstanding, Nature of Loan					
	Loan or dues to any other individuals/entity other than mentioned above Name(s), Amount outstanding, nature of loan					
	Any other liability					
	Grand total of liabilities					
(ii)	Government dues: Dues to departments dealing with government accommodation					
	Dues to department dealing with supply of water					
	Dues to department dealing with supply of electricity					
	Dues to department dealing with supply of telephones/mobiles					

2859 GI/12-5

	Dues to department dealing with government transport (including aircrafts and helicopters)					
	Income tax dues					
	Wealth tax dues					
	Service tax dues					
	Municipal/Property Tax dues					
	Sales Tax dues					
	Any other dues					
(iii)	Grand total of all Government dues					
(iv)	Whether any other liabilities are in dispute, if so, mention the amount involved and the authority before which it is pending.					

(9) Details of profession or occupation:

- (a) Self.....
 (b) Spouse.....

(10) My educational qualification is as under:-

.....
 (Give details of highest School/University education mentioning the full form of the certificate/diploma/degree course, name of the School/College/University and the year in which the course was completed.)

PART-B

(11) ABSTRACT OF THE DETAILS GIVEN IN (1) TO (10) OF PART-A:

1.	Name of the candidate	Sh./Smt./Kum.
2.	Full postal address	
3.	Number and name of the constituency and State	
4.	Name of the political party which set up the candidate (otherwise write 'Independent')	
5.	(i) Total number of pending cases where charges have been framed by the Court for offences punishable with imprisonment for two years or more	
	(ii) Total number of pending cases where the court(s) have taken cognizance [other than the cases mentioned in item (i) above]	

6.	Total Number of cases in which convicted and sentenced to imprisonment for one year or more [except for offences referred to in sub-sections (1), (2) or (3) of section 8 of Representation of the People Act, 1951].					
7.		PAN of	Year for which last income Tax return filed	Total income shown		
	(a) Candidate					
	(b) Spouse					
	(c) Dependents					
8.	Details of Assets and Liabilities in Rupees					
	Description	Self	Spouse	Dependent-I	Dependent-II	Dependent-III
A.	Moveable Assets (Total value)					
B.	Immovable Asset					
	I. Purchase Price of self-acquired immovable property					
	II. Development/ construction cost of immovable property after purchase (if applicable)					
	III. Approximate Current market price of -					
	(a) self-acquired assets (Total Value)					
	(b) inherited assets (Total Value)					
9.	Liabilities					
	(i) Government dues (Total)					
	(ii) Loans from Bank, Financial Institutions and others (Total)					
10.	Liabilities that are under dispute					
	(i) Government dues (Total)					

• (ii)	Loans from Bank, Financial Institutions and others (Total)						
11. •	Highest educational qualification: (Give details of highest School/University education mentioning the full form of the certificate/diploma/degree course, name of the School/College/University and the year in which the course was completed.)						

VERIFICATION

I, the deponent, above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom. I further declare that:-

- there is no case of conviction or pending case against me other than those mentioned in items 5 and 6 of Part A and B above;
- I, my spouse, or my dependents do not have any asset or liability, other than those mentioned in items 7 and 8 of Part A and items 8, 9 and 10 of Part B above.

Verified at.....this theday of.....

DEPONENT

- Note: 1. Affidavit should be filed latest by 3.00 PM on the last day of filing nominations.
 Note: 2. Affidavit should be sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of the First Class or before a Notary Public.
 Note: 3. All column should be filled up and no column to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either "Nil" or "Not applicable", as the case may be, should be mentioned,
 Note: 4. The Affidavit should be either typed or written legibly and neatly."

[F.No. H-11019(6)/2012-Leg. II]

Dr. SANJAY SINGH, Addl. Secy

Note: The principal rules were published *vide* notification number S.O.859, dated the 15th April, 1961 and last amended *vide* notifications—

- (1) number S.O.728(E), dated the 8th May, 2007.
- (2) number S.O. 425(E) dated 23rd February, 2011.

certificate that all the Returning Officers have received the instructions may be forwarded to the Commission within one month of receipt of this letter,

5. You are also requested to furnish a copy of this letter along with copy of the enclosed notification to every political party (including registered unrecognized parties) having headquarters in your State/UT, including the State Units of recognized National and State political parties.

Yours faithfully,

(Ashish Chakraborty)
Secretary